भारत सरकार Government of India

रेल मंत्रालय Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No. 2019/ ACII/9/13/e 3318722 New Delhi, dated: 04.07.2023

PFAs

All Zonal Railways & PUs

Sub: Operation of Miscellaneous E-Receipt System (MERS) Portal.

Ref: Board's letter no. 2019/ ACII/9/13 dated 10.06.2020 (RBA No.52/2020) , dated 31.07.2020 (RBA No.61/2020) ,dated 17.09.2020 (RBA No.74/2020) and dated 29.10.2021 (RBA No.57/2021) dated 08.04.2022(RBA No. 27/2022)

Miscellaneous E-Receipts System (MERS) portal has been developed by CRIS to facilitate digital payments of inward receipts to Railways and has been rolled out on all Indian Railways. The operational guidelines have already been issued vide Board's letters ibid. **However, most of the Zonal Railways/ PUs have not processed any payments through MERS/are using only few of the modules to receive miscellaneous earnings.**

As already advised, the MERS portal can be used for digitally receiving various items of Miscellaneous Receipts. The Railways' clients may be apprised about features and benefits of Miscellaneous E-Receipts System (MERS) portal so that the scheme may be utilized to its full potential.

Since this facility would be in line with Government initiative of encouraging digital payments and introduce faster and transparent accountal of receipts, the same may be given appropriate publicity amongst the various departments to facilitate digital payments by Railway's clients.

4/7/23

(Ajay Bartwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No. 23047018
E mail ID: ajay.bartwal@gov.in

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड(Railway Board)

सं. 2019/एसीII/9/13/ई 3318722

नई दिल्ली, दिनांक: 04.07.2023

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,

विषयः मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम (एम.ई.आर.एस.) पोर्टल का संचालन।

संदर्भः बोर्ड का पत्र सं. 2019/एसीII/9/13, दिनांक 10.06.2020 (आरबीए सं. 52/2020),दिनांक 31.07.2020 (आरबीए सं. 61/2020), दिनांक 17.09.2020 (आरबीए सं. 74/2020), दिनांक 29.10.2021(आरबीए सं. 57/2021) औरदिनांक08.04.2022(आरबीए सं. 27/2022)

रेलों के लिए आवक प्राप्तियों के डिजिटल संदाय को साध्य बनाने के लिए क्रिस द्वारा मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम (एम.ई.आर.एस.) पोर्टल विकसित किया गया है और सभी क्षेत्रीय रेलों में प्रारंभ किया जा चुका है। बोर्ड के पूर्वोक्त पत्रों द्वारा संचालन दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बहरहाल, अधिकांश क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों ने मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम द्वारा कोई संदाय नहीं किया है/विविध आमदनियों को प्राप्त करने के लिए केवल कुछ मॉड्यूलों का उपयोग कर रही हैं।

जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है, विविध प्राप्तियों की विभिन्न मदों को डिजिटली प्राप्त करने के लिए मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। रेल ग्राहकों को मिसलेनिअस ई-रिसीट सिस्टम पोर्टल की विशेषताओं और लाभों से अवगत कराया जाए ताकि इस योजना का इसकी पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया जा सके।

चूंकि यह सुविधा डिजिटल संदाय को बढ़ावा देने और प्राप्तियों का तीव्रतर व पारदर्शी लेखा-जोखा प्रारंभ करने के लिए सरकार की पहल के समान है, इसलिए रेल ग्राहकों द्वारा डिजिटल संदाय को साध्य बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच इसका उचित ढंग से प्रचार किया जाए।

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड फोन नं. 23047018
ईमेल आईडी: ajay.bartwal@gov.in